न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैगस्टर एक्ट, देहरादून।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1669 सन 2022

राकिब प्रति राज्य

मु.अ.सं. 562 सन 2022
धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट
थाना –पटेलनगर, देहरादून।

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता – श्री यशपाल सिह पुण्डीर
राज्य की ओर से उपस्थित – श्री पंकज कुमार राय, विशेष लोक अभियोजक

दिनांक–12.10.2022

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त राकिब पुत्र आरिफ निवासी मेहूवाला माफी थाना पटेलनगर, जिला देहरादून की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या, धारा एवं थाना में जमानत प्रदान किये जाने हेतु मय शपथपत्र उजमा प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन का कथन इस प्रकार है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2022 तक अभियुक्त राशिद उर्फ तौफिक अली एवं राकिब के द्वारा एक गिरोह बनाकर जिला देहरादून के पटेलनगर, कैण्ट , विकासनगर थाना क्षेत्रों में अपने व अपने गिरोह के भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जित किया गया। जिस कारण इनके विरूद्व मादक पदार्थों की तस्करी से सबंधित कई मामले दर्ज है। इन अभियुक्तगण का आमजन मानस में भय व्याप्त है। अभियुक्त राशिद उर्फ तौफिक अली इस गिरोह का मुखिया व अभियुक्त राकिब इसका सक्रिय सदस्य है। गैग चार्ट में अभियुक्त राकिब के विरूद्व निम्न अपराध पंजीकृत होना पाये गये है।

अभियुक्त राकिब

1. मुकदमा अपराध संख्या 45 सन 2021 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट थाना पटेलनगर, देहरादून।
2. मुकदमा अपराध संख्या 398 सन 2022 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट थाना पटेलनगर, देहरादून।

3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। गैगचार्ट में दर्शित मुकदमों में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत हो चुकी है। वह अपना कार्य करता है। वह उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। उसके गवाहान तोडने या भय का कोई अन्देशा नही है। वह जमानत पर छूटने के उपरांत उसका दुरूपयोग नही करेगा। अतः उसे जमानत प्रदान की जाये।

4. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार राय के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त राकिब के द्वारा अन्य अभियुक्तग साथ मिलकर अपने व अपने गिरोह के भौतिक व आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु मादक पदार्थों की तस्करी आदि अपराध कर अवैध रूप से धन अर्जित किया जा रहा है। यदि अभियुक्त को जमानत प्रदान की गयी। तो इस बात की प्रबल सम्भवना है कि वह पुनः तस्करी में संलिप्त हो जायेगौ अतः उसे जमानत प्रदान ना की जाये।

5. सुना एवं पत्रावली अभिलेख का अवलोकन किया। गैंग चार्ट में अभियुक्त राकिब पर दो मुकदमें दर्शाये गये है। जिसमें वह सक्षम न्यायालय से जमानत पर है। जमानत आदेशों की प्रति अभियुक्त की ओर से अपने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की गयी है। इसका कोई खण्डन अभियोजन की ओर से नही आया है।

6. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों ,परिस्थितियो एवं दिये गये तर्को के आलोक में मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर मैं इस स्तर पर अभियुक्त राकिब को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार पाता हूँ। तदानुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त राकिब का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को उसके द्वारा 50,000 रूपये का एक बंधपत्र व इसी रकम के दो जामिनान नाम पता व हैसियत के सत्यापन सहित पेश करने एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग कि वह दौराने वाद ऐसा कोई कृत्य नही करेगा, जो कि समाज विरोधी हो, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(चन्द्रमणि राय)
विशेष न्यायाधीश,गैंगस्टर
देहरादून।